

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/अध्ययन अवकाश/उदयपुर जोन/26260/2024/07

दिनांक:-13-01-2025

:- आदेश :-

निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का अध्ययन अवकाश आर.एस.आर के नियम-110 एवं 112 के तहत उनकी स्वयं की प्रार्थना पत्र एवं जी.ए.-45 के आधार पर स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिका का नाम (श्रीमती)	पदस्थापन स्थान	अवकाश अवधि
1.	जोशना चौबिसा	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सुरपुर ब्लॉक तलवाडा, बाँसवाडा	1. दिनांक 29.01.2024 से 28.01.2026 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 29.01.2026 से 23.04.2026 तक 85 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 24.04.2026 से 28.05.2026 तक 35 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश। 4. दिनांक 29.05.2026 से 28.01.2027 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
2	विष्णु कुमारी	उप स्वास्थ्य केन्द्र, घरलिया ब्राहमण ब्लॉक निम्बाहेडा, चित्तौडगढ	1. दिनांक 29.03.2022 से 28.03.2024 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 29.03.2024 से 20.07.2024 तक 114 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 21.07.2024 से 24.07.2024 तक 04 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश। 4. दिनांक 25.07.2024 से 28.03.2025 तक 247 दिवस का असाधारण अवकाश।
3	कुसुमलता भट्ट	उप स्वास्थ्य केन्द्र, फांचार, अहिरान ब्लॉक निम्बाहेडा, चित्तौडगढ	1. दिनांक 29.01.2024 से 28.01.2026 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 29.01.2026 से 17.05.2026 तक 109 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 18.05.2026 से 28.05.2026 तक 11 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश। 4. दिनांक 29.05.2026 से 28.01.2027 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
4	मंजूला मीणा	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सारोली खण्ड खेरवाड़ा, जिला उदयपुर	1. दिनांक 30.12.2022 से 29.12.2024 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 30.12.2024 से 28.04.2025 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 29.04.2025 से 29.12.2025 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
5	अर्चना सालवी	उप स्वास्थ्य केन्द्र, ढाबा खण्ड वल्लभनगर, जिला उदयपुर	1. दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2024 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 01.07.2024 से 21.10.2024 तक 113 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 22.10.2024 से 30.06.2025 तक 262 दिवस का असाधारण अवकाश।
6	करुणा बैरागी	उप स्वास्थ्य केन्द्र डाबडा खण्ड प्रतापगढ, जिला प्रतापगढ	1. दिनांक 27.01.2024 से 26.01.2026 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 27.01.2026 से 06.04.2026 तक 70 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 07.04.2026 से 26.01.2024 तक 295 दिवस का असाधारण अवकाश।

उक्त अवकाश अवधि का वेतन इनके मूल पदस्थापन स्थान से आहरित किया जावेगा, यदि मूल पदस्थापन स्थान में पद भरे जाने की स्थिति में निदेशालय के पत्रांक 07 दिनांक 03.01.2024 की परिधि में आने पर प्रकरण में तदनुसार कार्यवाही की जावे।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/अध्ययन अवकाश/उदयपुर जोन/26260/2024/07  
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:-13-01-2025

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन उदयपुर।
2. संबंधित समस्त नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी।
3. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. सम्बन्धित कार्मिका को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR  
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :10-01-2025 07:44:07